ग्रामीण पर्यटन : बुनियादी संरचना और क्षमता निर्माण

–डॉ. सुयश यादव

ग्रामीण पर्यटन इस लिहाज से अनोखा है कि यह समुदाय के स्वामित्व और भागीदारी पर निर्भर रहता है। ग्रामीण पर्यटन स्थल पर निर्माण कार्य शुरू करने से पहले ग्रामीण समुदाय को तैयार करना पड़ता है और उनके बीच गांव में जो कुछ बनाया जाना है, उसके प्रारूप के बारे में आम सहमति बनानी होती है। यह कार्य सरकार अकेले अपने दम पर नहीं कर सकती। इसलिए गैर–सरकारी संगठनों (एनजीओ) को क्रियान्वयन में सहभागी बनाया जाता है। ऐसे में उस एनजीओ का महत्व बहुत बढ़ जाता है जो उस गांव पर असर डालने वाले कारकों को भली–भांति समझता है।

वृहद् आर्थिक–स्तर पर विकास मानव विकास की गारंटी नहीं है। विकासशील देशों में बढ़ते ग्रामीण संकट की पृष्ठभूमि में आबादी के एक ऐसे बड़े हिस्से को सामाजिक और आर्थिक न्याय दिलाना जिन्हें लगातार रोजी–रोटी तथा स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित किया जाता रहा है, बहुत बड़ी चुनौती है। ग्रामीण पर्यटन समाज में समता और सशक्तीकरण जैसे लक्ष्यों को प्राप्त करने का कोई करामाती नुस्खा नहीं हो सकता। लेकिन अगर जनता को केंद्र में रखकर पर्यटन की बात करें तो यह बहुत उपयोगी और महत्वपूर्ण हो जाता है। ग्रामीण पर्यटन की अवधारणा के इर्द–गिर्द एक मजबूत मंच का विकास भारत जैसे देश के लिए निश्चित रूप से उपयोगी है जहां करीब–करीब 68 प्रतिशत जनसंख्या करीब साढ़े छह लाख गांवों में रहती है।

कृषि के क्षेत्र में आमदनी के घटते स्तर से ग्रामीण क्षेत्रों में शहरीकरण की बीमारी के लक्षण दिखाई दिए हैं। इसके साथ ही शहरी जीवनशैली के दबावों से 'प्रति–शहरीकरण' के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। ग्रामीण पर्यटन उन गिनी–चुनी गतिविधियों में शामिल है जिनसे इस समस्या का समाधान हो सकता है। लेकिन अकेले पर्यटन के बूते पूरे साल शत–प्रतिशत रोजगार की उम्मीद नहीं की जा सकती, मगर यह एक वैकल्पिक अवसर प्रदान करता है, और इससे ग्रामीण क्षेत्रों में खेती और पशुपालन आदि से हटकर कुछ करने के मौके मिलते हैं।

ग्रामीण पर्यटन के विकास की योजना के अंतर्गत मुख्य जोर इसे मुख्य पर्यटन गतिविधि के रूप में विकसित करने का है ताकि पर्यटन और इसके सामाजिक–आर्थिक फायदों को गांवों तक पहुंचाया जा सके और इस तरह देहाती इलाकों से लोगों का शहरों को पलायन रुके। ग्रामीण मनोरंजन मंडलियों के माध्यम से स्थानीय इतिहास, संस्कृति, मौखिक विधाओं के खजाने का पता लगाया जा सकता है। इस तरह पर्यटकों को भारत की ग्रामीण परंपराओं का 'आनंद' लेने का मौका उपलब्ध कराया जा सकता है। आज पर्यटन अनुभव हासिल करने का पर्याय बन गया है। लोग किसी स्थान पर जाकर वहां के स्मारकों को देखकर वापस नहीं लौट जाते, बल्कि वे वहां तरह–तरह के अनुभव हासिल करना चाहते हैं। वे लोगों के साथ बातचीत करना पसंद करते हैं और वहां के समाज के बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारियों से समृद्ध होकर लौटना चाहते हैं।

भारत में ग्रामीण पर्यटन

पर्यटन का कोई भी रूप जिससे ग्रामीण जीवन, कला, संस्कृति और धरोहर की झलक देखने को मिले और जिससे स्थानीय समुदाय

लाचुंग, सिक्किम

को आर्थिक व सामाजिक दृष्टि से फायदा होने के साथ–साथ पर्यटक स्थानीय लोगों के संपर्क में आएं और एक सुखद अनुभव से समृद्ध होकर लौटें, 'ग्रामीण पर्यटन' कहा जा सकता है। भारत की राष्ट्रीय पर्यटन नीति 2002 में ग्रामीण पर्यटन की पहचान विशेष रूप से ध्यान दिए जाने वाले क्षेत्र के रूप में की गई है। एंडोजीनस टूरिज्म प्रोजेक्टस–रूरल टूरिज्म स्कीम (ईटीपी–आरटीएस) भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) का साझा प्रयास है जिसकी शुरुआत 2003 में हुई।

यूएनडीपी प्रत्येक स्थल को 'साफ्टवेयर' यानी स्थानीय लोगों और बाहरी एजेंसियों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए 20 लाख रुपये का अनुदान देता है जबकि पर्यटन मंत्रालय प्रत्येक स्थल पर 'हार्डवेयर' के विकास के लिए 50 लाख रुपये का अंशदान केंद्रीय वित्तीय सहायता के रूप में देता है। इसके अंतर्गत बुनियादी ढांचे के विकास की गतिविधियां जैसे सड़कों का विकास, साफ–सफाई, गांव के परिवेश में सुधार जैसे कार्य किए जाते हैं। ग्रामीण लोगों को खान–पान, साफ–सफाई और आरोग्य के बारे में जानकारी देने के लिए होटल प्रबंधन संस्थानों के साथ करार किए जाते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आणंद (आईआरएमए) और विरासत वास्तुशास्त्रियों को सलाहकार के तौर पर जोड़ा जाता है। स्थानीय वास्तुशिल्प को परिवेश में ज्यादा फेरबदल किए बिना बनाए रखने के प्रयास किए जाते हैं।

परंपरागत पर्यटन के विपरीत, ग्रामीण पर्यटन में कुछ खास विशेषताएं होती हैं, जैसे यह अनुभवमूलक होता है। इस तरह के पर्यटन वाले स्थानों की आबादी कम होती है, यह आमतौर पर प्राकृतिक परिवेश में होता है, इसमें स्थानीय कार्यक्रमों को शामिल किया जाता है और यह संस्कृति, धरोहर और परंपराओं के संरक्षण पर आधारित होता है। इसका कार्यान्वयन पर्यटन समिति द्वारा किया जाता है जिसका प्रमुख संबंधित ग्रामीण पर्यटन स्थल के जिले का कलेक्टर होता है। 31 मार्च, 2012 तक पर्यटन मंत्रालय ने विभिन्न राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों के लिए 185 पर्यटन स्थलों की पहचान कर ली थी। मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध ताजा आंकड़ों के अनुसार पूरे देश में 52 ग्रामीण पर्यटन स्थल सैलानियों के लिए कार्य करने लगे हैं। इनमें से प्रत्येक स्थल की अपनी कोई–न–कोई खूबी है।

2014 में पर्यटन मंत्रालय ने 'स्वदेश दर्शन' नाम के केंद्र सरकार के कार्यक्रम की शुरुआत की जिसका उद्देश्य किसी एक विषय पर आधारित पर्यटक सर्किटों का समन्वित विकास करना था। पर्यटक सर्किट उस मार्ग को कहा जाता है जिसमें पर्यटकों के लिहाज से महत्वपूर्ण कम से कम तीन ऐसे प्रमुख स्थान होते हों जो अलग–अलग गांवों, कस्बों या शहरों में स्थित हों। धर्म, संस्कृति या जातीय पहचान से संबंधित किसी खास विषय पर आधारित पर्यटक सर्किट को थीम यानी विषय–आधारित 'पर्यटक सर्किट' कहा जाता है। ग्रामीण सर्किट उन 13 विषय–आधारित सर्किटों में से एक है जिन्हें विकसित करने के लिए चुना गया है।

सामुदायिक क्षमता का निर्माण

ग्रामीण पर्यटन इस लिहाज से अनोखा है कि यह समुदाय के स्वामित्व और भागीदारी पर निर्भर रहता है। ग्रामीण पर्यटन स्थल पर निर्माण कार्य शुरू करने से पहले ग्रामीण समुदाय को तैयार करना पड़ता है और उनके बीच गांव में जो कुछ बनाया जाना है उसके खाके के बारे में आम सहमति बनानी होती है। यह कार्य सरकार अकेले अपने दम पर नहीं कर सकती। इसलिए गैर–सरकारी संगठनों (एनजीओज) को क्रियान्वयन में सहभागी बनाया जाता है। ऐसे में उस एनजीओ का महत्व बहुत बढ़ जाता है जो उस गांव पर असर डालने वाले कारकों को भली–भांति समझता है। इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में ज़मीनी–स्तर पर काम करने वाले एनजीओ की मदद से समुदाय के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम चलाया जाता है। पर्यटन मंत्रालय अपने आप ये सब काम नहीं कर सकता। इस पर अमल का केंद्र बिंदु जिला कलेक्टर होता है जिसे ग्राम पर्यटन समिति से सहायता प्राप्त होती है। इसके लिए जिले के अधिकारियों और संबद्ध एनजीओ के बीच प्रभावी संवाद कायम होना जरूरी है। इस तरह की परियोजनाओं में साफ्टवेयर से संबंधित घटक पर अमल में अधिक समय लगता है (क्षमता निर्माण में 18 से 24 महीने तक लग जाते हैं)। साफ्टवेयर के तहत पहले ग्रामीण समुदाय के लोग आपस में चर्चा करके इस बात पर आम राय बनाते हैं कि पर्यटन घटक के तहत क्या करना चाहते हैं। और इससे ही बाद में हार्डवेयर घटक उभर कर सामने आना चाहिए। इसलिए राज्य के पर्यटन विभाग का एकमात्र काम हार्डवेयर घटक तक सीमित नहीं होना चाहिए।

इन परियोजनाओं के लिए दो चरणों वाली विधि में ग्रामीण समुदाय को एकजुट करना और उनकी क्षमताओं के निर्माण का कार्य शामिल रहता है। सबसे बड़ी चुनौती पर्यटन उत्पादों के सृजन की होती है उन्हें बाहर से लाकर नहीं रखा जा सकता, उन्हें गांव के भीतर ही से पैदा होना जरूरी है। परियोजना का एक उद्देश्य गरीबी कम करना है। ग्रामीण पर्यटन का अर्थ गांवों में पहले से समृद्ध लोगों को और धनी बनाना नहीं है बल्कि इसका मतलब है ऐसे लोगों को रोजी–रोटी उपलब्ध कराना जो खुशहाल नहीं हैं। ऐसे लोग पर्यटन में सहभागी बन सकते हैं और उनकी भागीदारी पर्यटकों की जरूरतों से संबंधित किसी भी सेवा या हुनर में हो सकती है। ग्रामीण पर्यटन योजनाओं के पीछे अंतर्निहित सोच यह है कि पर्यटन से हुई आमदनी को समूचे ग्रामीण समुदाय के सामान्य कल्याण में लगाया जाए ताकि जो लोग पर्यटन व्यवसाय से नहीं जुड़े हैं, उन्हें भी इसका फायदा मिले। जब हम समुदाय–आधारित पर्यटन की बात करते हैं तो गांवों में लोगों की उपस्थिति मात्र से पर्यटन को बढ़ावा मिलता है।

ग्रामीण पर्यटन परियोजनाओं के लिए बुनियादी ढांचा

इंडोजीनस टूरिज्म प्रोजेक्ट– रूरल टूरिज्म स्कीम (ईटीपी–

आरटीएस) यानी अंतः विकसित पर्यटन परियोजना और ग्रामीण पर्यटन कार्यक्रम पर्यटन मंत्रालय द्वारा अतीत में लागू किए गए बुनियादी ढांचा केंद्रित मानक पर्यटन परियोजनाओं से हटकर हैं। परियोजना का उद्देश्य और इसकी चुनौती ऐसा माहौल तैयार करने की है जिसमें पर्यटकों को ग्रामीण पृष्ठभूमि का आनंद उठाने का मौका मिले। इसका उद्देश्य ग्रामीण परिवेश में शहरी सुख–सुविधाएं जुटाना नहीं है। ईटीपी–आरटीएस कार्यक्रम के अंतर्गत गुजरात में कच्छ के रन का होडका गांव एक उदाहरण है जिसमें बुनियादी ढांचे का सफलतापूर्वक निर्माण किया गया। शान–ए–सरहद विलेज रिसोर्ट नाम से मशहूर इस पर्यटन केंद्र का स्वामित्व और संचालन होडका की ग्राम पर्यटन समिति के पास है।

कार्यक्रम के तहत पैनलबद्ध किए गए वास्तुशास्त्री इस बात का ध्यान रखते हैं कि बुनियादी ढांचे का निर्माण करते समय स्थानीय वास्तुशिल्प और परम्पराओं का पालन किया जाए। वास्तुशिल्प की शैली सामग्री की उपलब्धता की स्थिति पर निर्भर रहती है। निर्माण और रखरखाव का कार्य करते समय भी स्थानीय समुदाय की अधिक से अधिक भागीदारी पर जोर दिया जाता है। भुज के भूकंप में चौकोर इमारतों को नुकसान पहुंचा था जो टूट–फूट गई थीं, मगर गोलाकार भुंगा झोपड़ियां, जिनके लिए होडका प्रसिद्ध है, ज्यों की त्यों बच गई थीं। गांव के लोगों को अपने इतिहास, इमारतों के निर्माण की जानकारी और इसके तौर–तरीकों पर बड़ा गर्व है। इसी ने भूकंप की आशंका वाले इस इलाके में उन्हें सुरक्षित रखा है। इसीलिए लागत में कमी लाने के लिए वास्तुशास्त्रियों ने बुनियादी ढांचे के निर्माण में मिट्टी का इस्तेमाल करने की अवधारणा को अपनाया। इससे कच्छ के वास्तुशिल्प की सामाजिक और सौंदर्यशास्त्र विशेषताओं के संरक्षण में मदद मिली और कंक्रीट के ढांचों का निर्माण नहीं किया गया। कंक्रीट की जगह मिट्टी का इस्तेमाल करने का फायदा यह हुआ कि मिट्टी एक ऐसी निर्माण सामग्री है जो गर्मी और ठंड दोनों से बचाव करती है। ऐसे कारीगरों की मदद ली गई जो निर्माण कार्य में मिट्टी के इस्तेमाल में दक्ष थे। इसी तरह स्थानीय समुदायों में उपलब्ध दस्तकारों का भी अधिक से अधिक इस्तेमाल किया गया ताकि स्थानीय स्वामित्व की झलक मिले और साथ ही स्थानीय लोगों का पैसा उन्हीं के समुदाय में रहे। इससे कारीगरों और दस्तकारों में भी गर्व की भावना पैदा होती है जिन्हें रोजी–रोटी की तलाश में अपना घर छोड़ कर शहरों को जाने को मजबूर होना पड़ता है।

भारत में पर्यटकों और प्रमुख संगठनों (सेवा प्रदाताओं) के लिए सप्लाई चेन

पर्यटन निजी क्षेत्र के वृहत्तर नेटवर्क से जुड़ा है। यात्रा कारोबार की जरूरत है ग्रामीण पर्यटन स्थल पर स्वच्छता और आरोग्य तथा पर्यटकों की सुरक्षा। सेवा प्रदाता के रूप में कार्य कर रहे एनजीओ देश में ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रहे हैं और पर्यटकों की सप्लाई चेन का बेहद जरूरी हिस्सा हैं। इस तरह की पहल में ग्रासरूट्स, रूरल टूरिज्म नेटवर्क एंटरप्राइज, धन फाउंडेशन और ट्रैवल अनदर इंडिया प्रमुख हैं।

सरकारी योजनाएं

प्रत्येक पर्यटन–स्थल को 50 लाख रुपये की सहायता के अलावा पर्यटन मंत्रालय इंडोजीनस टूरिज्म प्रोजेक्ट–रूरल टूरिज्म स्कीम (ईटीपी–आरटीएस) यानी अंतः विकसित पर्यटन परियोजना और ग्रामीण पर्यटन कार्यक्रम में मदद के लिए विदेशों में (जहां से पर्यटक आते हैं) विपणन संबंधी विभिन्न पहल कर रहा है। भारत में ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सिंगापुर में इंडिया/60 कार्यक्रम में पहली बार पर्यटन मंत्रालय द्वारा यूएनडीपी के सहयोग से विकसित चार ग्रामीण पर्यटन स्थलों के आठ हुनरमंद दस्तकारों ने आकर्षक कला और शिल्प के जरिए अपने यहां की खूबियों को प्रदर्शित किया। इसमें भाग लेने वाले दस्तकारों में से ज्यादातर पहली बार विदेश यात्रा पर गए थे और उन्हें वहां अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा, विपणन और प्रचार–प्रसार के तौर–तरीकों का प्रत्यक्ष अनुभव हुआ। इससे वे पर्यटन कारोबार, ग्राहकों, कॉरपोरेट संगठनों और मीडिया के साथ विस्तृत प्रत्यक्ष संपर्क बना। सितंबर 2008 में आयोजित पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन (पाटा) की ट्रेवल मार्ट में ग्रामीण पर्यटन स्थलों के दस्तकारों ने हिस्सा लिया और अपनी कला व शिल्प का प्रदर्शन किया।

सुगम्यता और सुधार

देशभर में कई स्थानों पर ग्रामीण पर्यटन परियोजनाएं शुरू की गई हैं। लेकिन इनमें से कुछ ही सफल हुई हैं और इनसे वहां आने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ोतरी के साथ–साथ स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़े हैं। ग्रामीण पर्यटन परियोजनाओं के प्रभाव के मूल्यांकन के लिए कराए गए अध्ययन में बताया गया है कि परियोजना क्षेत्रों में कम संख्या में पर्यटकों का पहुंचना और वहां तक पहुंचने में परेशानियां मूल्यांकित परियोजनाओं में से करीब 31 प्रतिशत की असफलता की वजह हैं। इसलिए किसी गांव को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए सबसे पहला कदम गांव की असली ताकत को पहचानना होना चाहिए और इसी के चारों ओर ग्रामीण पर्यटन का ताना–बाना बुना जाना चाहिए। ग्रामीण पर्यटन के विकास को प्रोत्साहित करने वाले प्रमुख तत्वों में उस स्थान की अवस्थिति और प्रमुख पर्यटन स्थलों से उसकी दूरी का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। ग्रामीण पर्यटन एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें मजबूत सार्वजनिक–निजी भागीदारी का बड़ा महत्व है। इस संबंध में एकीकृत दृष्टिकोण अपनाने के लिए विभिन्न मंत्रालयों जैसे ग्रामीण विकास, संस्कृति, पर्यावरण और जनजातीय कल्याण के कई कार्यक्रमों को समन्वित कर समग्र दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। नाबार्ड के तहत ग्राम पंचायतों और ग्रामीण नवसृजन कोष की भागीदारी सुनिश्चित करके उनकी ताकत का भी फायदा उठाया जाना चाहिए।

विकासशील देशों में ग्रामीण पर्यटन स्थलों की मार्केटिंग के

कार्य का जटिल हिस्सा यह है कि ग्रामीण पर्यटन पर्यटकों के आगमन पर प्रसन्न या कृतज्ञ होने तक सीमित नहीं हैं। बल्कि यह उस स्थल पर क्या अनुभव हो सकते थे, इसे सम्प्रेषित करने में है ताकि जो पर्यटक ऐसे अनुभवों की तलाश में हैं, उन्हें आकर्षित किया जा सके। इस तरह स्थिति निर्धारण और प्रोत्साहन जन–केंद्रित होना चाहिए न कि बाजार केंद्रित। आज दुनिया भर में कई जिम्मेदार पर्यटन उपक्रम फल–फूल रहे हैं। वे स्थानीय लोगों के साथ सक्रिय रूप से भागीदार बनने और स्थानीय विकास प्रक्रिया में योगदान करने को अपने पर्यटन अनुभव का स्वाभाविक हिस्सा मानते हैं। ग्रामीण पर्यटन की परिकल्पना करने, इस पर अमल करने और इसे बढ़ावा देने का कार्य इस तरह से किया जाना चाहिए कि इससे पर्यटक को किसी स्थान या दृश्य को देखने भर की प्रेरणा न मिले, बल्कि उसमें अनुभव हासिल करने की उत्सुकता जगे और उस पर असर पड़े। इतना ही नहीं, वह ग्रामीण समुदाय के साथ संपर्क से अपने आप को थोड़ा बदला हुआ–सा महसूस करें। ग्रामीण पर्यटन परियोजनाओं को इस तरह से बनाए जाने की जरूरत है जिससे इस समूची प्रक्रिया में ग्रामीण समाज शुरू से ही भागीदार बने और वे परियोजना के शुरू होने से काफी पहले से ही इसके फायदों और नुकसान के बारे में अच्छी तरह से अवगत हो।

निष्कर्ष

भारत की सांस्कृतिक और भौगोलिक विविधता को देखते हुए देश में ग्रामीण पर्यटन की क्षमताओं का फायदा उठाने के अनगिनत मौके हैं। अगर उचित तरीके से इसे लागू किया जाए और बढ़ावा दिया जाए तो परियोजनाएं आर्थिक विकास की प्रेरक बन सकती हैं और इनसे गरीबी, महिला सशक्तीकरण और ग्रामीण लोगों के आर्थिक दर्जे को मजबूत करने में मदद मिल सकती है। जिन गांवों का चयन सही तरीके से हुआ है और जहां एनजीओ और जिला कलेक्टर के बीच गतिशील तालमेल कायम रहा है वहां सफलता की गाथाएं सुनने को मिली हैं। ग्रामीण पर्यटन परियोजनाओं की सफलता का आकलन सिर्फ आर्थिक फायदे के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए बल्कि गांवों में सामाजिक न्याय के स्तर में सुधार और सामाजिक पूंजी में वृद्धि का भी ध्यान रखा जाना चाहिए।

(लेखक लखनऊ विश्वविद्यालय के पर्यटन अध्ययन संस्थान में सहायक प्रोफेसर हैं।)

ई–मेल : yadav.suyash@gmail.com

ग्रामीण विकास के लिए पर्याप्त धनराशि जारी

वर्ष 2017–18 में सरकार ने मनरेगा के लिए बजट अनुमान के आधार पर अब तक का अधिकतम आवंटन 48000 करोड़ रुपये जारी किया है। इस वर्ष ग्रामीण विकास मंत्रालय को सभी योजनाओं के लिए कुल राशि 1,05,442 करोड़ रुपये प्राप्त हुई है। ग्रामीण विकास मंत्रालय 85 प्रतिशत मामलों में 15 दिनों के अंदर मजदूरी का भुगतान कर रहा है, जबकि 2015–16 और 2016–17 में यह क्रमशः 37 प्रतिशत और 42 प्रतिशत था। बजट अनुमान के आधार पर बढ़े हुए आवटन के कारण ऐसा संभव हुआ है।

राज्यों को दी जाने वाली धनराशि का दूसरा दौर प्रत्येक वर्ष सितंबर में प्रारंभ होता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि राज्यों ने सामान्य वित्तीय नियमों में उल्लिखित शर्तों का पालन किया है अथवा नहीं। इसके अंतर्गत पिछले वर्ष के लेखा रिपोर्ट सहित पूर्ण वित्तीय जांच शामिल है। पिछले कुछ महीनों में सरकार ने राज्यों को इससे संबंधित अनुरोध किया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मनरेगा भुगतान और सामग्री भुगतान के लिए धनराशि की दूसरी किश्त जारी कर दी है। यह राशि उन राज्यों को जारी की गई है जिन्होंने वर्ष 2016–17 के लिए लेखा रिपोर्ट जमा कर दिया है। पिछले 10 दिनों में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, झारखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश, सिक्किम और तमिलनाडु को धन जारी किया गया है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को धनराशि देने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है क्योंकि उनके प्रपत्र हाल में ही प्राप्त हुए हैं। मजदूरी भुगतान व अन्य गतिविधियों के लिए राज्यों को उनके लेखा रिपोर्ट प्राप्त होते ही धनराशि जारी कर दी जाएगी। अच्छे मानसून वाले वर्ष में मनरेगा के तहत अगस्त से नवंबर तक रोजगार की मांग में कमी आती है। जिन राज्यों और जिलों में मानसून की औसत से कम वर्षा हुई है उनके लिए धनराशि के आवंटन का विशेष ध्यान रखा गया है। सरकार समय पर भुगतान के लिए प्रतिबद्ध है और यदि आवश्यकता हुई तो मनरेगा के लिए पूरक बजट में अतिरिक्त धनराशि मुहैया करायी जाएगी।

उल्लेखनीय है कि ग्राणीण क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए केंद्र सरकार ने डीएवाई–एनआरएलएम, पीएमजीएसवाई, पीएमएवाई(जी) व अन्य कार्यक्रमों के लिए आवंटन राशियों में बढ़ोतरी की है। दिसंबर, 2018 तक पीएमएवाई(जी) के अंतर्गत एक करोड़ नए घरों को निर्माण किया जाएगा, जो एक रिकार्ड होगा। मार्च, 2018 तक 51 लाख ऐसे घरों का निर्माण पूरा कर लिया जाएगा। 8 लाख घरों का निर्माण पूरा कर लिया गया है और शेष 43 लाख घरों का निर्माण अंतिम चरण में है। पीएमजीएसवाई अब एक वर्ष में 29 हजार करोड़ रुपये की धनराशि खर्च करता है। इसमें राज्यों का हिस्सा भी शामिल है। 85 प्रतिशत निवास क्षेत्रों (मैदानी क्षेत्रों में 500 और पहाड़ी क्षेत्रों में 250 की आबादी) को सभी मौसमी सड़कों से जोड़ दिया गया है। 6 महीने पहले यह मात्र 57 प्रतिशत था। मार्च, 2019 तक शत–प्रतिशत कनेक्टिविटी का लक्ष्य रक्षा गया है और यह लगभग पूरे होने की राह पर है। डीएवाई–एनआरएलएम के तहत जीविका के साधनों को विविधिकरण करने का लक्ष्य है। स्वयं सेवी समूहों को बैंकों के खातों से जोड़ा गया है और इसमें 47 हजार करोड़ रुपये की राशि जमा है। ढाई वर्ष पूर्व जमा राशि की तुलना में यह दुगुनी से अधिक है। ग्रामीण विकास की अन्य गतिविधियों से भी ग्रामीण क्षेत्रों के रोजगार के अवसरों का सृजन हो रहा है। इस कारण ग्रामीण भारत में मजदूरी की दर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। स्वच्छ भारत मिशन, 14वें वित्त आयोग और कई अन्य गतिविधियां भी ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी आधारित रोजगार की वृद्धि में उल्लेखनीय योगदान दे रहे हैं।